अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सहरसा**....., सं0.....**03**....., सन्**2021**.....

केस का प्रकार.....**आर्बिट्रेशन**.....**(रामनारायण साह बनाम राज्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
28.10.2026	NHAI एवं राज्य उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदक सुनवाई हेतु निर्धारित विगत (09) नौ तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा-3 जी0 (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 107 परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि मौजा-सौफावाद खान पट्टी उर्फ बनगाँव, थाना नं0-137, खाता सं0-1227, खेसरा सं0-4040 के किस्म आवासीय पर अवस्थित संरचना के मुआवजा भुगतान हेतु दायर किया गया है। विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त परियोजना हेतु निर्गत अधिसूचना एवं अधिघोषणा में अधिग्रहित भूमि खेसरा सं0-4040 का किस्म 'आवासीय' दर्ज है। जिला स्तरीय छः सदस्यीय जाँच कमिटि द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदन में आवेदक के भू-खंड को 'आवासीय' श्रेणी में रखा गया। साथ-ही अधिग्रहित भूमि के पंचाटी रैयतों के वारिशानों एवं आपत्तिकर्त्ता (श्री आशुतोष कुमार झा, पिता-श्री शिवकान्त झा, सा0-पड़री) के बीच अर्जित भूमि के स्वत्व तथा हिस्सेदारी को लेकर विववाद के कारण NH Act-1956 (Act-48 of 1956) के धारा-3एच0(4) के प्रावधानों के तहत इस कार्यालय के पत्रांक-70-2/सपत्र भू-अर्ज0, दिनांक-29.01.2020 द्वारा इस मामले को विचारण एवं निर्णय हेतु व्यवहार न्यायालय, सहरसा में सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर करते हुए उपस्थापित करने हेतु भेजा गया है। तद्लोक में विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेज तथा विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा दाखिल जवाब व अभिलेखों के आलोक में आवेदक के भूमि के आवासीय किस्म के अनुरूप देय मुआवजा राशि का भुगतान संगत नियमों के आलोक में किया गया है। आवेदक का दावा है कि उन्हें प्रश्नगत भूमि का उचित मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है जबकि उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि उन्हें देय मुआवजा किस दृष्टिकोण से अपर्याप्त है। दावों के स्पष्टता के अभाव में इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधितों को दी जाय। आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा